न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, प्रकरण (सैशन न्यायाधीश) दौसा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:	केशव कौशिक, आरजेएस (UID No.RJ00156)
निर्णय दिनाँक	**:**	**29.07.2026**
सैशन प्रकरण संख्या	:	45/2025
CNR No.	:	RJDS010011742025

PART–A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ट लोक अभियोजक श्री गोपाल लाल शर्मा
अभियुक्त	**संदीप सिंह उर्फ टिल्लू पुत्र प्रताप सिंह, उम्र 51 वर्ष निवासी शर्मा प्रेस के पीछे नई मण्डी रोड दौसा पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विक्रम शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त

PART–B

अपराध की दिनाँक	01.07.2025
F.I.R. की दिनाँक	01.07.2025
आरोप पत्र पेश होने की दिनाँक	29.08.2025
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक	15.10.2025
बहस सुनी जाने की दिनाँक	21.07.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	29.07.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक	29.07.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)/ सुनवाई की दिनाँक	29.07.2026

PART–C

अभियुक्त का विवरणः

अभियुक्त	प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में गुजारी अवधि
संदीप सिंह उर्फ टिल्लू	01.07.2025	लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है	8/21 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट	दोषसिद्ध	दण्डादेश के अनुसार	01.07.2025 पुलिस अभिरक्षा में व दिनांक 02.07.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में

PART – II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW 1	रोहिताश	नमूना एफ.एस.एल. जमा कराना
PW 2	सुधीर कुमार	जब्ती अधिकारी
PW 3	बाबूलाल	जब्ती के समय मौजूद गवाह जो घटना की ताईद करेगा
PW 4	रविकान्त	न्यायिक अधिकारी, धारा 52 ए की कार्यवाही करना
PW 5	हरलाल	मालखाना इंचार्ज, मालखाना में माल जमा करना
PW 6	कालूराम	जब्ती के समय मौजूद गवाह जो घटना की ताईद करेगा
PW 7	पिन्टूसिंह	जब्ती का स्वतंत्र गवाह
PW 8	हाकिमसिंह	नक्शा मौका बनाना व मोबाइल जब्ती का साक्षी
PW 9	रविन्द्र कुमार	अनुसंधान अधिकारी
PW 10	मुकेश	नक्शा मौके बनाना व मोबाइल जब्ती का साक्षी
PW 11	दीपक कुमार	पुलिस उच्चाधिकारियों को सूचना का लिफाफा देना कहेगा

(B) बचाव साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
--	--	--

(C) न्यायालय साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	शून्य

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/ बचाव प्रदर्श/ न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	विवरण
1.	Ex P.1/PW 1,9	एफ.एल.प्राप्ति रसीद
2.	Ex P.2/PW 2,9	माल एफ.एस.एल. भिजवाने का अग्रेषण पत्र
3.	Ex P.3/PW 3,9	रोजनामचा रपट रवानगी
4.	Ex P.4/PW 4,9	रोजनामचा रपट वापसी
5.	Ex P.5/PW 5,9	धारा 52 ए की कार्यवाही प्रेषित पत्र
6.	Ex P.6/PW 4,	मार्क ए नमूना सैम्पल चिट पर्ची
7.	Ex P.7/PW 4,	मार्क ए शेष सामग्री चिट पर्ची
8.	Ex P.8/PW 4,	मार्क बी रुपयों की चिट पर्ची
9.	Ex P.9/PW 4,	धारा 52 ए की कार्यवाही रिपोर्ट
10.	Ex P.10/PW 4	फार्म नंबर 4 का प्रमाण–पत्र
11.	Ex P.11/PW 4	फार्म नंबर 5 का प्रमाण–पत्र
12.	Ex P.12/PW 4	फार्म नंबर 6 का प्रमाण–पत्र
13.	Ex P.13 से 25/PW 4,9	धारा 52 ए की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स
14.	Ex P.26/PW 4,9	धारा 52 ए की कार्यवाही की आदेशिका
15.	Ex P.27/PW 4	थानाधिकारी को माल प्रस्तुत करने का पत्र
16.	Ex P.28/PW 4	दस्तावेजों का अग्रेषण–पत्र
17.	Ex P.29, 29 ए/PW 4,5,9	मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रति
18.	Ex P.30/PW 2,7	गवाह रेवड़मल व पिंटू की गवाह बनने की सहमति
19.	Ex P.31/PW 2,7	जामा तलाशी हेतु दिया गया नोटिस
20.	Ex P.32/PW 2,7	फर्द जब्ती स्मैक की विक्रय राशि 54,340/–
21.	Ex P.33/PW 2,7	फर्द वजह गिरफ्तारी अभियुक्त
22.	Ex P.34/PW 2,7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त संदीप
23.	Ex P.35/PW 2,7	फर्द नमूना सील
24.	Ex P.36/PW 2,7	फर्द नष्टीकरण सील
25.	Ex P.37/PW 2	पुलिस अधीक्षक को दी गई सूचना
26.	Ex P.38/PW 2	चाक एफ.आई.आर.
27.	Ex P.39/PW 2	गवाह रेवलड़मल को स्वतंत्र गवाह बनने का नोटिस

28.	Ex P.40/PW 2	धारा 55 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस
29.	Ex P.41/PW 2	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस
30.	Ex P.42/PW 2,8,10	नक्शा मौका घटनास्थल
31.	Ex P.43/PW 2	एफ.एस.एल. जाँच रिपोर्ट
32.	Ex P.44/PW 8,9,10	अभियुक्त की निशांदेही से बनाया नक्शा मौका
33.	Ex P.45/PW 8,9,10	फर्द जब्ती मोबाइल
34.	Ex P.46/PW 9	साक्ष्य अधिनियम की सूचना
35.	Ex P.47 से 51/PW 9	अभियुक्त के मोबाइल के वाट्सएव स्क्रीन शॉट
36.	Ex P.52/PW 9	अभियुक्त का सजायाबी रिकॉर्ड
37.	Ex P.53 से 56/PW 9	नकल रपट रोजनामचा

(B) बचाव पक्ष प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	विवरण
1	प्रदर्श डी–1, पी.ड.9	फार्म संख्या 4
2	प्रदर्श डी–2, पी.ड.9	फार्म संख्या 5

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनाँक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	विवरण
–	–	–

(D) सारवान वस्तु एवं मालखानाः

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	विवरण	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं विवरण
1.	मादक पदार्थ स्मैक	मादक पदार्थ 10.20 ग्राम बकब्जा अभियुक्त	910/140 दिनाँक 01.07.2025

निर्णय **दिनाँकः 29.07.2026**

1. संक्षेप में अभियोजन कहानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोजन कहानी के अनुसार दिनाँक 01.07.2025 को श्री सुधीर कुमार, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा मय पुलिस जाब्ता कालूराम, पिन्टूसिंह, बाबूलाल, रेवड़मल कांस्टेबल्स के साथ मय अनुसंधान बॉक्स, निजी लेपटॉप, प्रिन्टर प्राइवेट वाहन से

थाना से वास्ते लॉकल व स्पेशल एक्ट एवं गश्त निगरानी बदमाशान हेतु समय 10:27 ए.एम. पर रवाना हुए थे। समय करीब 12:50 पीएम पर रेल्वे पुलिया के नीचे सुलभ शौचालय के पास पहुँचा जहाँ एक व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस जाब्ता व वाहन को आता देख इधर–उधर भागने का प्रयास करने लगा, जिसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे जाब्ता की मदद से पकड़ कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संदीप सिंह उर्फ टिल्लू बना पुत्र प्रतापसिंह निवासी धौंकरिया मोटर्स के पीछे मंडी रोड दौसा का होना बताया। उससे सड़क पर खड़े होने व पुलिस जाब्ता को देखकर इधर–उधर भागने का कारण पूछा तो वह सकपका गया एवं संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उक्त शख्स के पास आपत्तिजनक वस्तु होने का अंदेशा होने पर जाब्ता में से कास्टेबल रेवडमल को एक हुकमनामा स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु दिया गया, जिसने वापस आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति आपसी रंजिश व कानूनी पेचीदगियों के कारण स्वतंत्र गवाह नहीं बनना चाहता है। इस पर कांस्टेबल्स रेवडमल व पिन्टू को स्वतंत्र गवाह मामूर किया जाकर उनकी लिखित में सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् थानाधिकारी द्वारा अपनी तलाशी मौतबिरान को व मौतबिरान ने थानाधिकारी की तलाशी ली, गई जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, फिर संदिग्ध शख्स की तलाशी थानाधिकारी द्वारा ली गई तो संदीपसिंह द्वारा पहने हुए काले रंग के लॉअर (पायजामा) की बायीं तरफ की जेब में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली, जिसके अन्दर भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ भरा हुआ था, जिसे सूंघने व परखने पर मादक पदार्थ स्मैक होना पाया। उक्त शख्स ने भी उसे स्मैक होना बताया, जिसके सम्बन्ध में उसके पास कोई लाइसेंस या अनुज्ञा–पत्र नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उक्त मादक पदार्थ का वजन करने पर थैली सहित उसका वजन 10.12 ग्राम होना पाया गया। उक्त शख्स की जामा तलाशी ली गई तो उसके पायजामा की दायीं जेब में 500 रुपये के 55 नोट, 200 रुपये के 42 नोट, 100 रुपये के 169 नोट, 50 रुपये के 14 नो, 20 रुपये के 3 नोट तथा 10 रुपये के 78 नोट कुल 54340 रुपये मिले, जिन्हें उसने मादक पदार्थ की बिक्री के होना बताया। तत्पश्चात् उक्त मादक पदार्थ व रुपयो को नियमानुसार सीलबन्द कर जब्त किया गया। अभियुक्त ने उक्त मादक पदार्थ स्मैक जीतू उर्फ जीतराम पुत्र किलाण सिंह निवासी भौण्डवाडा पुलिस थाना गढमोरा जिला करौली व विक्की पुत्र राजेन्द्र निवासी यशोधरा लोन के पास गुप्तेश्वर रोड दौसा से

खरीदना बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व मौका पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द नष्टीकरण सील बनाई गई। उसके बाद अभियुक्त, मादक पदार्थ एवं जामा तलाशी में जब्तशुदा मोबाइल, रुपयों सहित थाना पर आये। इत्यादि के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 318/2025 अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 1985 के अधिनियम से सम्बोधित किया जायेगा) के अपराध में दर्ज की गई। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध में आरोप–पत्र पेश किया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनाँक 01.07.2025 को अभियुक्त को 1985 के अधिनियम की धारा 8/21(बी) के अपराध का पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु उसे धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत होना बताया तथा यह कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे घर से उठाकर लाये थे, उसके पिताजी ने मकान के लिए पैसे लिये थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिये।

4. बचाव पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

5. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

6. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने बहस के दौरान तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है कि दिनांक 01.07.2025 को समय लगभग 1:40 बजे श्री सुधीर कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गश्त एवं चैकिंग के दौरान अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू के पायजामा की बायीं जेब से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में कुल 10.12 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया था। उक्त मादक पदार्थ को अभियुक्त के अनन्य कब्जा में रखने के सम्बन्ध में कोई वैध अनुज्ञापत्र अथवा लाइसेंस नहीं पाया गया था। इस सम्बन्ध में 1985 के अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए जब्ती की व मजिस्ट्रेट से सैम्पलिंग की कार्यवाही करवाई गई है। मादक पदार्थ को एफ.एस.एल. जाँच हेतु सील्ड व सुरक्षित अवस्था में भेजा गया, एफ.एस.एल. जाँच में उक्त पदार्थ को मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया

है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध 1985 के अधिनियम की धारा 35 एवं 54 के तहत उपधारणा की जावेगी। अभियुक्त से जब मादक पदार्थ बरामद किया गया था, तो इससे मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में लाइसेंस/अनुज्ञा–पत्र माँगा गया था, लेकिन उसने अपने पास कोई लाइसेंस या अनुज्ञा–पत्र नहीं होना बताया। न ही दौराने विचारण उसने ऐसा कोई अनुज्ञा–पत्र या लाइसेंस पेश कर प्रदर्शित करवाया है, जिससे प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ उसके चैतन्य कब्जा में अवैध रूप से रखा जाना प्रमाणित है। अभियोजन ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में कुल 11 गवाहान की परीक्षा कराई है। इन गवाहान से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु उनके कथनों में किसी प्रकार की निर्बलता उभरकर नहीं आयी है। सैम्पल लेने से लेकर सैम्पल प्रयोगशाला तक भेजे जाने तक की समस्त कड़ीबद्ध शृंखला अभिलेख पर उपलब्ध है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। प्रकरण में जब्ती अधिकारी व अन्य गवाहान की साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य की विश्वसनीयता व सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य है कि गवाहान की व अभियुक्त की पूर्व की रंजिश या अदावत रही हो, जिसके कारण अभियुक्त के खिलाफ झूठे बयान दे रहे हों। मादक पदार्थों का अवैध व्यापार न केवल उपयोगकर्ता के लिए घातक है बल्कि यह मानव समाज व देश के विरूद्ध भी अपराध है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाये।

7. इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता, बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क लिया गया है कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फँसाया गया है, उससे किसी प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उसे पुलिस ने घर से उठाकर अभियुक्त बनाया है तथा उसके मकान निर्माण के पैसों को झूठे रूप से मादक पदार्थ की बिक्री की राशि बताते हुए जब्त कर लिया। उनका यह भी तर्क रहा है कि कार्यवाही स्थल एक भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र है एवं आबादी बसी हुई है। मौका पर आसानी से स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में जब्ती अधिकारी द्वारा पब्लिक के किसी स्वतंत्र गवाह को मौतबीर साक्षी नहीं बनाकर केवल पुलिसकर्मियों को ही जब्ती के समय स्वतंत्र साक्षी मामूर कर कार्यवाही की गई है, जो विधि विरुद्ध है। 1985 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौका पर स्वतंत्र गवाहान मौजूद हो तो उन्हें कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क है कि जब्ती अधिकारी ने यह भी कहा है कि यह चांस रिकवरी का केस था, इसलिए धारा 50 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई और यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त को उसकी तलाशी के संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी नहीं बताया। जबकि यह भी स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि मौका पर कोई राजपत्रित अधिकारी कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं था और न ही उसने किसी उच्च अधिकारी को मौके से सूचना दी और न ही किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस बाबत् सूचना दी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब्ती अधिकारी को अंदेशा होने पर व्यक्तिगत मामलों में वह धारा 50(1) के प्रावधानों की पालना करेगा, जबकि इस प्रकरण में उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की गई है। उनका यह भी कहना है कि जब्ती के समय मौजूद गवाह पिन्टू सिंह मौका पर ही सैम्पल लेना बताता है, जबकि ऐसे कोई सैम्पल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे मामला सन्देहास्पद हो जाता है। ऐसे में अभियोजन के पूरे मामले में विरोधाभास एवं संदेह व्याप्त होने से सन्देह के लाभ का सिद्धांत लागू कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृस्टान्त पेश किये हैंः–

(i) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम परमानन्द व अन्यः 2014 क्रिमि. लॉ रिपोर्ट (एससी) 290–

इस मामले में जब्ती अधिकारी ने मुल्जिमान को यह सूचित किया था कि उनकी तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम राजपत्रित अधिकारी के समक्ष या पुलिस अधीक्षक के समक्ष, जो छापेमारी दल का हिस्सा था, की जा सकती है। इस पर मुल्जिमान ने जब्ती अधिकारी को सूचित किया कि वे पुलिस अधीक्षक से अपनी तलाशी करवाना चाहेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण में अपनायी गयी प्रक्रिया को 1985 के अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि किसी अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने के पीछे का विचार, यदि उसे आवश्यकता हो, तो उसे एक स्वतंत्र अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी का मौका देना है। इसलिए जब्ती अधिकारी द्वारा मुल्जिमान को यह कहना अनुचित था कि उनके पास तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है तथा उनकी तलाशी पुलिस अधीक्षक द्वारा, जो छापेमारी दल का हिस्सा था, के समक्ष की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र अधिकारी नहीं था तथा जब्ती अधिकारी मुल्जिमान को तीसरा विकल्प नहीं दे सकता थे। जब 1985 के अधिनियम की धारा 50(1) इस संबंध में प्रावधान नहीं करती है, तब मुल्जिमान को दिया गया ऐसा विकल्प धारा 50 के प्रावधानों

को विफल कर देता है। इसलिए इस मामले में जब्ती की कार्यवाही विधिसम्मत नहीं थी तथा इस कारण मुल्जिमान को दोषमुक्त करने के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं पाई गई।

(ii) दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम सुरतसिंहः 2026 आईएनएससी 240

इस मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यही अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे केवल उसके बैग की तलाशी ली जाती है और उसकी व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली जाती है, तो 1985 के अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी। लेकिन यदि उसके बैग की तलाशी ली जाती है और उसकी व्यक्तिगत तलाशी भी ली जाती है, तो 1985 के अधिनियम की धारा 50 लागू होगी।

(iii) डोनियर विल्डनोव बनाम स्टेट ऑफ यूपी. 2026 आईएनएससी 95–

इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किये हैं कि अधिनियम के तलाशी एवं जब्ती संबंधी अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने पर, जिसमें अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अधिकार की सूचना देना भी शामिल है, पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है और उचित सन्देह पैदा करती है। यह भी मत दिया है कि घटनाक्रम, इकबालिया बयान और दस्तावेजीकरण के संबंध में गवाहों के साक्ष्यों में स्पष्ट विसंगतियां आदि अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं ।

(iv) कृष्ण चन्द बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेशः 2017 (4) क्राइम्स 362 (एस.सी.)–

इस मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि स्वतंत्र गवाहान को बरामदगी के समय शामिल नहीं कराया जाता है तो यह अभियोजन मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का सादर अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

10. इस प्रकरण में हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–

(1) कि दिनांक 01.07.2025 को समय लगभग 1:40 बजे थाना कोतवाली, दौसा के थानाधिकारी श्री सुधीर कुमार द्वारा मय जाब्ता मौजा रेलवे पुलिया, सुलभ शौचालय के पास, दौसा में गश्त व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी हेतु कार्यवाही की जा रही थी। दौराने तलाशी आपके अनन्य एवं चेतन्य कब्जे से आपके पायजामा की बायीं जेब से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में कुल

10.12 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया। उक्त मादक पदार्थ के संबंध में आपके पास किसी प्रकार का वैध अनुज्ञापत्र अथवा लाइसेंस नहीं पाया गया।

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड के भागी हैं?

11. अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिसमें गवाह रोहिताश पी.डब्ल्यू. 01 का कथन है कि वह दिनांक 21.08.2025 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज मुकदमा नंबर 318/2025, 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 में थानाधिकारी के आदेश अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा सील्डशुदा एक पैकिट मय अग्रेषण पत्र के विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जांच हेतु जमा कराने लेकर गया था, जिस पैकिट को सील अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करवाकर जिसकी रसीद प्राप्त कर पुलिस थाना कोवताली दौसा में मालखाना प्रभारी को रसीद सुपुर्द की थी, जिसकी एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका अग्रेषण पत्र प्रदर्श–पी 2 है जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस पैकिट को जमा कराने हेतु उसकी आमद रवानगी प्रदर्श–पी 3 व 4 है।

12. प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मालखाना रजिस्टर की जो प्रति पत्रावली में संलग्न है उसमें उसके द्वारा माल एफएसएल जांच हेतु ले जाने व अग्रेषण पत्र का हवाला भी नही है। यह बात सही है कि प्रदर्श–पी 3 व 4 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके ऐसे किसी मालखाना रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर नहीं है कि उसने माल एफएसएल में जांच कराने के लिए जमा कराने हेतु लिया हो।

13. गवाह सुधीर कुमार पी.डब्ल्यू. 2 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 10:27 ए.एम. पर वह मय जाप्ता कांस्टेबल बाबूलाल, कालूराम, रेवड़मल और पिंटूलाल के साथ मय प्राइवेट वाहन, मय लैपटॉप, प्रिंटर के वास्ते गश्त इलाका व माइनर एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से रवाना हुआ था। वह गश्त करता हुआ समय 12:50 पी.एम. पर रेल्वे पुलिया के पास सुलभ शौचालय के पास में पहुँचा तो एक व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस को देखकर वहाँ से भागने का प्रयास करने लगा, जिसकी गतिविधियॉ संदिग्ध होने पर उसे रोककर जाब्ता की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संदीप सिंह उर्फ टिल्लू पुत्र

प्रताप सिंह बारहठ उम्र 51 वर्ष निवासी नई मण्डी रोड दौसा होना बताया। साक्षी ने उससे वहाँ पर खड़े होने का कारण व पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछा तो अभियुक्त ने कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया, जिस पर साक्षी ने अभियुक्त के पास में कोई आपत्ति जनक वस्तु होने का अंदेशा होने पर उसकी जामा तलाशी लिया जाना आवश्यक होने के कारण कांस्टेबल रेवडमल को 1:20 पी.एम. पर आस–पड़ोस से अभियुक्त की जामा तलाशी के लिये स्वतंत्र गवाह तलाश कर लाने हेतु लिखित में हुकमनामा देकर रवाना किया। कांस्टेबल रेवड़मल लगभग दस मिनट बाद उक्त स्थान पर वापस आया और साक्षी को अवगत करवाया कि आपसी रंजिश के भय किसी ने भी स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति नहीं दी। इस पर साक्षी द्वारा जाब्ते में से कांस्टेबल पिंटू व रेवड़मल को स्वतंत्र गवाह बनने हेतु लिखित में नोटिस दिया गया, जिस पर उनके द्वारा अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात साक्षी द्वारा अभियुक्त संदीप सिंह के समक्ष साक्षी की, गवाहान रेवड़मल व पिंटू के समक्ष जामा तलाशी दी गई जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। फर्द जामा तलाशी 1:40 पी.एम. पर तैयार की गई। तत्पश्चात समय 1:42 पी.एम. पर साक्षी द्वारा स्वतंत्र गवाहान रेवड़मल व पिंटू के समक्ष अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्त के पहने हुए काले रंग के लोअर में बायीं तरफ की जेब में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली। उक्त थैली को चैक किया गया तो उस थैली में भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ भरा हुआ मिला, जिसको साक्षी द्वारा खोलकर देखा गया व हमराही जाब्ता को दिखाया व सूंघाया गया तो साक्षी व जाब्ता ने अनुभव के आधार पर उक्त मादक पदार्थ स्मैक होना पाया। अभियुक्त संदीप सिंह से इस पदार्थ के बारे में पूछा गया तो उसने भी स्मैक ही होना बताया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिलने पर उसे कब्जे में रखने व ले जाने बाबत वैध अनुज्ञा–पत्र मांगा तो अभियुक्त ने अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। तत्पश्चात् साक्षी ने अनुसंधान बॉक्स में रखे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कांटे से गवाहान रेवड़मल कांस्टेबल व पिन्टू कांस्टेबल के समक्ष उक्त अवैध मादक पदार्थ स्मैक का वजन किया तो वजन 10 ग्राम 12 मिलीग्राम पॉलीथीन की थैली सहित होना पाया। उक्त स्मैक को अभियुक्त के कब्जे से मौतबिरान के समक्ष जरिये फर्द जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया जाकर कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया। साक्षी के द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू की जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए काले रंग के

पायजामा की दांहिनी तरफ की जेब में 500 रूपये के 55 नोट, 200 रूपये के 42 नोट, 100 रूपये के 169 नोट, 50 रूपये के 14 नोट व 20 रूपये के 3 नोट, 10 रूपये के 78 नोट कुल 54,340/– रूपये मिले। उक्त राशि को अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू से पूछताछ पर स्मैक की विक्रय राशि होना बताया। उक्त राशि अवैध मादक पदार्थ की बिक्री से संबंधित होने के कारण बतौर वजह सबूत जब्त की जाकर एक कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू से अवैध मादक पदार्थ के बाबत् पूछा गया तो अभियुक्त ने स्मैक की बिक्री करना बताया और स्मैक उस समय जीतू उर्फ जीतराम गुर्जर पुत्र कल्याण निवासी भौंडवाडा थाना गढमोरा जिला करौली व विक्की जांगिड पुत्र राजेन्द्र जांगिड निवासी यशोदरा लोन के पास गुप्तेश्वर रोड दौसा से खरीदना बताया व दोनों के द्वारा आसपास की तरफ सप्लाई के लिये जाना बताया। अभियुक्त संदीप सिंह को 1985 के अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत नोटिस दिया जाकर व अभियुक्त को उसके अपराध व गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिस सील से माल को व अवैध बिक्री के रूपयों को सील मोहर किया उसको मौके पर ही नष्ट किया गया व फर्द तैयार की गई। गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त संदीप के कब्जे में एंड्रायड मोबाइल फोन टेक्नो कंपनी का मिला जिसे कब्जे पुलिस लिया गया। उक्त सारी कार्यवाही नवीन कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जरिये कांस्टेबल कालूराम के मोबाइल से ई–साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन से वीडियोग्राफी की गई। तत्पश्चात् मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मय अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप मय जब्तशुदा सामग्री अवैध मादक पदार्थ सील्डशुदा मार्क ए व जब्तशुदा बिक्री राशि मार्क बी के रवाना होकर मय प्राइवेट वाहन के वापस थाना आये। मालखाना इंचार्ज हरलाल हैड कांस्टेबल 66 को 1985 के अधिनियम की धारा 55 के तहत नोटिस दिया जाकर जब्तशुदा माल जमा मालखाना करवाया गया तथा अभियुक्त को बंद हवालात थाना किया गया। पर्चा कायमी कर अभियोग संख्या 318/202, 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 के तहत पंजीबद्व कर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार तफ्तीश रविन्द्र सिंह उप निरीक्षक एसएचओ थाना सदर दौसा को सुपुर्द की गई तथा 1985 के अधिनियम की धारा 57 की सूचना पुलिस अधीक्षक व उप अधीक्षक को प्रेषित की गई। पर्चा कायमी तैयार कर सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई, पर्चा कायमी प्रदर्श पी–37 है, जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है। चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी–38 है, जिस पर उसके ए से बी भाग में डिजीटल हस्ताक्षर है। उसके द्वारा गवाह रेवड़मल को स्वतंत्र गवाह लाने बाबत नोटिस दिया जो प्रदर्श पी–39 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने का नोट अंकित है व ई से एफ कांस्टेबल रेवडमल के हस्ताक्षर है। कांस्टेबल पिन्टू व रेवड़मल कांस्टेबल के द्वारा स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति की फर्द प्रदर्श पी–30 है, जिस पर ए से बी गवाह पिन्टू की सहमति होकर सी से डी गवाह पिन्टू के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ गवाह रेवड़मल की सहमति व जी से एच गवाह रेवड़मल के हस्ताक्षर है व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। जामा तलाशी बाबत दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–31 है, जिस पर ए से बी गवाह पिन्टू सिंह, सी से डी गवाह रेवडमल व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ स्मैक पॉलीथीन की थैली सहित कुल वजन 10 ग्राम 12 मिलीग्राम व अवैध स्मैक बिक्री राशि 54,340/– रूपये की फर्द जब्ती बनाई, जो प्रदर्श पी–32 है, जिस पर ए से बी गवाह पिन्टू, सी से डी गवाह रेवडमल व ई से एफ अभियुक्त संदीप के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, सभी के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर है तथा तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। अभियुक्त संदीप को दिया गया फर्द वजह गिरफ्तारी नोटिस 52(1) अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट की फर्द प्रदर्श पी–33 है, जिस पर भी ए से बी गवाह पिन्टू, सी से डी गवाह रेवडमल व ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, सभी के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर है। अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी–34 है, जिस पर ए से बी गवाह पिन्टू, सी से डी गवाह रेवड़मल व ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, सभी के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–35 है, जिस पर ए से बी गवाह पिन्टू, सी से डी गवाह रेवड़मल व ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–36 है, जिस पर ए से बी गवाह पिन्टू, सी से डी गवाह रेवड़मल व ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। उसके द्वारा दिया गया 1985 के अधिनियम की धारा 55 का मालखाना इंचार्ज हरलाल को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–40 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी जब्तशुदा माल को मालखाना रजिस्टर में जमा बाबत इन्द्राज होकर ई से एफ एच.एम. मालखाना हरलाल के हस्ताक्षर है। 1985 के

अधिनियम की धारा 57 की सूचना पुलिस अधीक्षक दौसा को दी गई, सूचना प्रदर्श पी–41 है, जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर है व सी से डी सूचना प्राप्ति का अंकन है व ई से एफ रविप्रकाश शर्मा उपाधीक्षक दौसा के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने बनाया जो प्रदर्श पी 42 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अवैध माल स्मैक को जाँच हेतु एफएसएल भिजवाया गया था, जिसकी एफएसएल द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 43 है। मादक पदार्थ स्मैक की अभियुक्त द्वारा बिक्री राशि को उसके द्वारा जब्त की गई थी, जो फर्द में विवरण अनुसार 54,340/– रूपये को सील्ड कर उस पर मार्का बी अंकित किया था, जिसकी सील्डशुदा लिफाफे पर चस्पा चिट प्रदर्श आर्टिकल–ए 4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी अभियुक्त के, ई से एफ गवाह रेवड़मल व जी से एच गवाह पिन्टू के व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है।

14. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि वह यह नहीं बता सकता कि दिनांक 01.07.2025 को वाहन नम्बर आरजे 14 टीएफ 6243 सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थाने पर उपलब्ध था या नहीं। उसने बताया कि कोतवाली थाने पर दो वाहन रहते हैं, किन्तु गश्त, एस्कॉर्ट एवं डीओ ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। उसे यह ध्यान नहीं है कि उस दिन निजी वाहन कौन, किसका तथा किस नम्बर का थाने पर लेकर आया था और उस पर कौन चालक था। उसने निजी वाहन चालक से किसी भी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं करवाए। उसने स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल निजी टैक्सी स्टैण्ड, घनी आबादी एवं दुकानों वाला क्षेत्र है, जो कोतवाली थाने से लगभग 200 मीटर तथा अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू के मकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि पुलिस वाहन आरजे 14 टीएफ 6243 तथा महिला कांस्टेबल के साथ सुबह 8:30 बजे अभियुक्त को उसके घर से उठाकर थाने लाया गया था। उसने स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी, किन्तु भीड़ में से किसी व्यक्ति अथवा आसपास के दुकानदार को नामजद नोटिस देकर स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–42 में अभियुक्त के भागने की दिशा, अभियुक्त, पुलिस वाहन एवं भीड़ की स्थिति तथा सील तोड़कर डालने का स्थान अंकित नहीं है तथा आईओ ने प्रदर्श पी–42 तैयार करते समय उसे कोई नोटिस नहीं दिया। उसने स्वीकार किया

कि कार्यवाही के समय किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को मौके पर नहीं बुलाया गया और न ही अभियुक्त को उनके पास ले जाया गया तथा अभियुक्त की तलाशी के समय धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस भी नहीं दिया गया। उसे यह ध्यान नहीं है कि कार्यवाही स्थल के आसपास धोकरिया मोटर्स, जेके गारमेंट एवं फैशन प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे या नहीं। उसने बताया कि वे थाने से 10:27 ए.एम. पर रवाना हुए थे तथा 12:50 पी.एम. से 1:20 पी.एम. तक किसी स्वतंत्र गवाह को बनाने का प्रयास नहीं किया गया। उसने स्वीकार किया कि कथित मादक पदार्थ को सूंघने से न तो उसका मन विचलित हुआ और न ही वह बेहोश हुआ तथा उसे ड्रग डिटेक्शन किट से भी जांचा नहीं गया। उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी और गश्त के दौरान कार्यवाही की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि फर्दों के गवाह रेवडमल एवं पिन्टू कांस्टेबल जाब्ते के गवाह तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–30 एवं प्रदर्श पी–31 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा अभियुक्त का मकान पास होने के बावजूद प्रदर्श पी–34 तैयार करते समय उसके किसी परिजन को नहीं बुलाया गया। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि सम्पूर्ण कार्यवाही थाने में बैठकर झूठी तैयार की गई थी। उसने बताया कि जब्ती से मालखाने में जमा कराने तक कथित पदार्थ पर केवल एक बार सील मोहर की गई तथा तीन स्थानों पर सील लगाई गई। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श आर्टिकल ए–1 एवं ए–2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि ए–4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने स्वीकार किया कि सील किस प्रकार नष्ट की गई, इसका उल्लेख प्रदर्श पी–36 में नहीं है तथा प्रदर्श पी–40 पर समय अंकित नहीं है। उसने बताया कि मौके के फर्द बाबूलाल कांस्टेबल ने उसके निर्देशन में तैयार किए थे। उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त के पास से ऐसी कोई पर्ची बरामद नहीं हुई जिससे यह ज्ञात हो कि उसने किससे कितना माल खरीदा या किसको बेचा, अभियुक्त का मोबाइल सील मोहर नहीं किया गया, प्रदर्श पी–23 ए पर माल जमा कराते समय उसने हस्ताक्षर नहीं किए, कार्यवाही के समय कोई इन्वेंट्री तैयार नहीं की गई तथा बरामद नोटों के नम्बर किसी भी फर्द में अंकित नहीं हैं। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि अभियुक्त के मकान निर्माण की राशि को उसके घर से जब्त कर झूठी स्मैक बिक्री की राशि दर्शाया गया हो, अथवा अभियुक्त को सुबह 8:30 बजे पुलिस थाना कोतवाली के वाहन आरजे 14 टीएफ

6243 से थाने लाकर बाद में कार्यवाही स्थल पर ले जाकर झूठा मुकदमा बनाया गया हो।

15. गवाह बाबूलाल पी.डब्ल्यू.3 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सुधीर कुमार उपाध्याय पुलिस निरीक्षक के साथ वह, पिंटू सिंह कांस्टेबल 858, कालूराम 1236, रेवड़मल 396, मय अनुसंधान बॉक्स के मय प्राइवेट वाहन के लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही व निगरानी बदमाशान हेतु रवाना होकर रेल्वे पुलिया के नीचे सुलभ काम्प्लेक्स के पास दौसा पहुँचे। जहाँ पर एक शख्स बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसको उनके द्वारा डिटेन किया गया था। जिसका नाम पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम संदीप सिंह उर्फ टिल्लू पुत्र प्रताप सिंह निवासी धोकरिया मोटर्स के पीछे नई मंडी रोड दौसा होना बताया। उससे इधर उधर भागने का कारण पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। जिस पर थानाधिकारी द्वारा अभियुक्त की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर स्वतंत्र गवाह तलाश कर लाने हेतु रेवड्मल कांस्टेबल को हुकमनामा देकर रवाना किया था। जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि आसपास स्वतंत्र गवाहों की तलाश की लेकिन कानूनी पेचीदगीयों के कारण कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात् थानाधिकारी द्वारा जाब्ते में से रेवड़मल कांस्टेबल व पिंटू सिंह कांस्टेबल को गवाह बनने हेतु लिखित में नोटिस दिया जिस पर उन्होंने लिखित में अपनी सहमति दी, जिसके पश्चात थानाधिकारी व उक्त गवाह रेवड़मल कांस्टेबल व पिंटू सिंह द्वारा अपनी तलाशी अभियुक्त को दी गई तो दैनिक वस्तुओं के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके पश्चात् अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए लोअर की बायीं जेब में एक पारदर्शी जिपनुमा प्लास्टिक की थैली मिली थी, जिसमें हल्के भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ मिला, जिसको थानाधिकारी द्वारा देखा, सूंघा परखा एवं हमराही जाब्ते को दिखाया व सूंघाया तो सभी ने अपने पूर्व अनुमान के आधार पर उक्त पदार्थ स्मैक होना बताया था तथा अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू से पूछा तो उसने भी मादक पदार्थ स्मैक होना बताया था। अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू से कब्जे में मिले मादक पदार्थ स्मैक के बारे में कोई अनुज्ञा–पत्र व लाईसेंस के बारे में पूछा तो कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेंस नहीं होना बताया था। अभियुक्त के कब्जे में मिले अवैध मादक पदार्थ स्मैक का इलेक्टॉनिक कांटे से तोल किया गया तो प्लास्टिक की

जिपनुमा थैली सहित वजन 10 ग्राम 12 मिलीग्राम होना पाया गया था। अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू के कब्जे में मिले अवैध मादक पदार्थ को प्लास्टिक की जिपनुमा थैली सहित एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया था एवं अभियुक्त के पहने हुए लोअर की दायीं जेब में कुल 54340/– रूपये मिले थे। जिनको आपने अवैध स्मैक विक्रय राशि होना बताया। उक्त राशि को एक लिफाफे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया था। उक्त मादक पदार्थ स्मैक को अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू ने जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र कल्याण निवासी भोंडवाडा व विक्की जांगिड निवासी यशोदरा लोन के पास दौसा से खरीद कर लाना बताया था। अभियुक्त की पहनी हुई शर्ट की वायीं जेब में एक एंड्रायड मोबाइल टेक्नो कंपनी का मिला था। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया था एवं मौके पर सील्ड मोहर करने में प्रयुक्त की गई फर्द नमूना सील मूर्तिब की गई थी। उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त की गई सीलमोहर को मौके पर ही नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण नमूना सील तैयार की गई। तत्पश्चात थानाधिकारी के साथ साक्षी, कांस्टेबल्स पिंटू सिंह, कालूराम, रेवड़मल, मय अनुसंधान बॉक्स मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू मय सीलशुदा पैकेट मार्का ए व बी मय प्राईवेट वाहन के वापिस थाना आये थे। उक्त जब्तशुदा पैकेट मार्का ए व बी को मुताबिक फर्द के जमा मालखाना करवाया गया था एवं गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को बाद जामा तलाशी बंद हवालात किया गया था। वापसी थाने पर थानाधिकारी द्वारा अभियोग संख्या 318/2025 पंजीबद्व किया था।

16. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि जिस निजी वाहन से वे कार्यवाही स्थल पर जाना बताते हैं, वह कौनसा था, उसे इसकी जानकारी नहीं है तथा उक्त वाहन को थाने पर कौन लेकर आया और कौन चला रहा था, यह भी उसे ज्ञात नहीं है। उसने स्वीकार किया कि उक्त निजी वाहन के नम्बर एवं चालक का सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उसने स्वीकार किया कि रेलवे पुलिया, जिसे कार्यवाही स्थल बताया गया है, वहां काफी दुकानें, मकान तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा उसे यह जानकारी नहीं है कि धोकरिया मोटर्स, जेके गारमेंट एवं फैशन प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या नहीं। उसने स्वीकार किया कि आसपास के दुकानदारों को गवाह बनने हेतु कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया तथा वे थाने से 10:27 बजे रवाना हुए थे। उसने स्वीकार किया कि उन्हें कोई गुप्त सूचना प्राप्त

नहीं हुई थी। उसने कहा कि वह अभियुक्त संदीप का मकान नहीं जानता तथा यह भी नहीं कह सकता कि उसका मकान कार्यवाही स्थल से 50 मीटर की दूरी पर था। उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त किस दिशा में भागने का प्रयास कर रहा था, वह नहीं बता सकता तथा अभियुक्त की तलाशी से पूर्व उसे धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस भी नहीं दिया गया। उसने स्वीकार किया कि भागते हुए अभियुक्त की कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई और बाद में ई–साक्ष्य एप पर कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई थी। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि अभियुक्त को उसके घर से पकड़कर वहीं से राशि बरामद की गई हो तथा कहा कि उसे यह भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि वह उसका मकान ही नहीं जानता। उसने स्वीकार किया कि सम्पूर्ण कार्यवाही जिला मुख्यालय पर हुई थी, मौके पर किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को बुलाने का प्रयास नहीं किया गया तथा कथित पदार्थ को ड्रग डिटेक्शन किट से जांचा नहीं गया। उसने बताया कि मौके के फर्द थानाधिकारी के निर्देशन में उसके द्वारा तैयार किए गए थे तथा जब्तशुदा पदार्थ को केआर मार्का की सील से सील मोहर किया गया था। उसने स्वीकार किया कि उस समय अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना किसी परिजन को नहीं दी गई, सम्पूर्ण माल एक ही पैकेट में जब्त किया गया, सीलबंद पैकेट का जब्ती के बाद वजन नहीं किया गया तथा मौके पर इन्वेंट्री नहीं बनाई गई क्योंकि इन्वेंट्री मजिस्ट्रेट करते हैं। उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त से जब्त मोबाइल खुली अवस्था में ही जब्त किया गया तथा सील किस प्रकार नष्ट की गई, इसका उल्लेख पत्रावली में नहीं है। उसने स्वीकार किया कि आसपास के दुकानदारों को गवाह नहीं बनाया गया क्योंकि कोई तैयार नहीं हुआ, किन्तु किसी भी फर्द में गवाह बनने से इंकार करने का उल्लेख अंकित नहीं है और केवल एक फर्द पर ही ऐसा नोट अंकित है। उसने स्वीकार किया कि फर्द जामा तलाशी पर थानाधिकारी, गवाहान एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने बताया कि रेवडमल को 1:20 बजे हुक्मनामा देकर भेजा गया था और वह 1:30 बजे लौट आया था, किन्तु वह किस दिशा में गवाह बनाने गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि संशोधित फॉर्म भरकर माल मालखाने में जमा कराया गया था या नहीं तथा जब्ती से लेकर मालखाने में जमा कराने तक माल पर केवल एक बार ही सील मोहर की गई थी। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि अभियुक्त को पहले से थाने में बैठाकर बाद में झूठी

बरामदगी दर्शाई गई हो, अथवा उसके घर से मकान निर्माण की राशि जब्त कर उसे मादक पदार्थ की बिक्री की राशि बताकर जब्त किया गया हो या उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाया गया हो।

17. गवाह रविकान्त पी.डब्ल्यू.4 तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 दौसा ने कथन किया है कि दिनांक 05.08.2025 को रविन्द्र कुमार, थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा एफआईआर नम्बर 318/2025, 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 में उक्त अधिनियम की धारा 52 ए की कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र मय केस डायरी उसके समक्ष पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर उसके द्वारा कार्यवाही हेतु दिनांक 08.08.2025 नियत की जाकर प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री, उपकरण, केस डायरी, आदि पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी थानाधिकारी रविन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फॉर्म नम्बर 4 व 5 है, जिस पर भी ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। दिनांक 08.08.2025 को कार्य अधिकता के कारण उक्त कार्यवाही संभव नहीं होने से, कार्यवाही हेतु दिनांक 11.08.2025 नियत की गई। दिनांक 11.08.2025 को प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री, उपकरण, केस डायरी, आदि पेश होने पर उसके द्वारा सील्ड पैकेट मार्क ए व मार्क बी के संबंध में नियमानुसार धारा 52 ए की कार्यवाही संपादित की गई। दौराने कार्यवाही श्री रविन्द्र कुमार द्वारा मार्क ए पैकेट में से 9.81 ग्राम शुद्ध पदार्थ स्मैक को बतौर नमूना सैम्पल लिया गया। कार्यवाही के पश्चात उक्त सैम्पल, शेष सामग्री व मार्क बी के सील्ड पैकेटों को पुलिस थाना कोतवाली के मालखाना एलसी दिनेश कुमार को संभलाया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के फोटोग्राफ्स प्राप्त करने एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिनांक 12.08.2025 नियत की गई। दिनांक 12.08.2025 से दिनांक 17.08.2025 को उसके अवकाश पर होने से दिनांक 18.08.2025 को कार्यवाही की फोटोग्राफ्स प्राप्त होने पर पृथक से रिपोर्ट तैयार की गई। तत्पश्चात कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेजात गोपनीय डाक से जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दौसा को प्रेषित की गई। नमूना सैम्पल की चिट पर्ची प्रदर्श पी–6 है, मार्क ए शेष सामग्री की चिट पर्ची प्रदर्श पी–7 है, मार्क बी की चिट पर्ची प्रदर्श पी–8 है। इन फर्दात् पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। धारा 52 ए एनडीपीएस कार्यवाही की रिपोर्ट मय प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–9 के

प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फॉर्म नम्बर 4 व 5 के प्रमाण पत्र, क्रमशः प्रदर्श पी–10 व 11 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फॉर्म नम्बर 6 के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–12 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह न्यायालय की नमूना सील अंकित है। कार्यवाही की फोटोग्राफस प्रदर्श पी–13 लगायत प्रदर्श पी–25 है, जिन पर प्रत्येक पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही की आदेशिका प्रदर्श पी–26 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो तीन पृष्ठ में है। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर को माल, उपकरण, केस डायरी, आदि प्रस्तुत करने हेतु जारी तहरीर प्रदर्श पी–27 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दौसा को गोपनीय डाक से प्रेषित किये गये दस्तावेजों का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–28 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही के संबंध में मालखाना रजिस्टर में मद संख्या 910/140 पर इन्द्राज है, जो प्रदर्श पी–29 है, जिस पर ए से बी उसके द्वारा की गई कार्यवाही का अंकन है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ भाग में माल का अंकन है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–29 ए है, जिस पर ए से बी मालखाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है। मार्क ए नमूना सैम्पल का सील्ड पैकेट प्रदर्श आर्टिकल–1 है। मार्क ए शेष सामग्री की सील्ड पैकेट प्रदर्श आर्टिकल–2 है। मार्क बी का सील्ड लिफाफा प्रदर्श आर्टिकल–2 है, इन तीनों फर्दात् पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है।

18. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फॉर्म नम्बर 4 एवं 5 पर उसके द्वारा पत्रावली में शामिल करने तथा उन्हें प्रमाणित करने संबंधी कोई अंकन नहीं किया गया है। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–9 रिपोर्ट में सीलबंद पैकेट मार्क–ए पर अंकित सील चपड़ी किस मार्का की थी, इसका उल्लेख नहीं है तथा कार्यवाही के दौरान लिए गए फोटोग्राफों की संख्या एवं उन्हें लेने वाले व्यक्ति का भी उल्लेख नहीं किया गया है। उसने स्वीकार किया कि फोटोग्राफों के संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र एवं उनका बिल उसने प्राप्त नहीं किया तथा उसके समक्ष पदार्थ को ड्रग डिटेक्शन किट से भी जांचा नहीं गया था। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–9 रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि सीलबंद पैकेट में अंकित माल का फर्द जब्ती से मिलान किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल–1 से आर्टिकल–3 तक के गवाह

मालखाना इंचार्ज एवं प्रार्थी थानाधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं तथा प्रदर्श पी–29 के इन्द्राज में यह अंकित नहीं है कि माल इन्वेंट्री की कार्यवाही हेतु कब निकाला गया और कब पुनः जमा कराया गया। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–9 रिपोर्ट तैयार होने से पूर्व ही माल मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया जा चुका था तथा कार्यवाही के फोटोग्राफ सात दिन बाद प्राप्त हुए थे, जिनके प्राप्त होने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की गई। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि उसने नियमानुसार कार्यवाही नहीं की हो और केवल थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हों।

19. गवाह हरलाल पी.डब्ल्यू.5 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली में मालखाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नम्बर 318/2025, 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 में उसे मालखाना में अवैध मादक पदार्थ का एक पैकेट सुधीर कुमार उपाध्याय थानाधिकारी कोतवाली द्वारा जमा करवाया गया था, जिसका कुल वजन 10.12 ग्राम था और बिक्री की राशि 54,340/– रूपये जमा भी करवाये थे, जो बंद लिफाफे में थे तथा पैकेट पर मार्का बी अंकित था। पैकेटों पर मार्का ए व बी अंकित था, जो मालखाना रजिस्टर में मद संख्या 910/140 पर अंकित किया गया। जिसकी धारा 52 ए की कार्यवाही का अंकन भी मालखाना रजिस्टर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के द्वारा अंकित है। मालखाना रजिस्टर असल प्रदर्श पी–29 है, जिस पर ई से एफ भाग में माल जमा का अंकन है व ए से बी भाग में धारा 52 ए की कार्यवाही का अंकन है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–29 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–29 ए में सी से डी भाग में अनुसंधान अधिकारी का नोट अंकित है व ई से एफ उनके हस्ताक्षर है।

20. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि प्रदर्श पी–29 में फर्द जब्ती के अनुसार माल जमा कराने का कोई हवाला नहीं है तथा धारा 52–ए की कार्यवाही हेतु माल किस दिन मालखाना से निकला और किस दिन पुनः मालखाना में जमा हुआ, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–29 एवं प्रदर्श पी–29 ए में पैकेटों पर किस स्थान पर और किस मार्का की सील अंकित थी, इसका विवरण नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पैकेटों को जमा करते समय सील मोहर नहीं किया और उसके समक्ष भी पैकेट जमा करते समय सील मोहर नहीं

किए गए। उसने स्वीकार किया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार फॉर्म नम्बर 4 एवं 5 में इन्द्राज कर माल जमा कराने हेतु नहीं दिया गया तथा प्रदर्श पी–29 ए किस दिन जारी किया गया और एफएसएल में माल किस दिन जमा कराने हेतु भेजा गया, इसका भी कोई हवाला प्रदर्श पी–29 एवं प्रदर्श पी–29 ए में अंकित नहीं है। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि उसने मालखाना में गलत इन्द्राज किया हो।

21. गवाह कालूराम पी.डब्ल्यू.6 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के साथ गश्त में गया था। उनके साथ जाब्ते में रेवड़मल कांस्टेबल, पिंटू कांस्टेबल, बाबूलाल कांस्टेबल भी साथ थे। गश्त के दौरान समय 12:50 पी.एम. पर रेल्वे पुलिया के नीचे सुलभ शौचालय के पास पहुँचे। जहाँ पर अभियुक्त पुलिस जाब्ते को देखकर इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे। अभियुक्त के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसको रोककर उसका नाम पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम संदीप उर्फ टिल्लू होना बताया। उससे पुलिस जाब्ते को देखकर इधर उधर भागने बाबत पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया, जिस पर उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु का अंदेशा होने पर थानाधिकारी द्वारा कार्यवाही हेतु पुलिस जाब्ता में से रेवड़मल कांस्टेबल को समय 1:20 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु हुकमनामा देकर रवाना किया गया था। समय 1:30 पी.एम. पर रेवड़मल कांस्टेबल द्वारा वापसी पर आकर बताया व तहरीर किया कि उसने आसपास काफी लोगों को तलाश किया लेकिन कानूनी पेचीदगी के कारण कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर समय 1:35 पी.एम. पर थानाधिकारी द्वारा पुलिस जाब्ता में से रेवड़ कांस्टेबल व पिंटू कांस्टेबल को मौतबिर बनने हेतु लिखित में नोटिस देकर लिखित में सहमति प्राप्त की गई। जिसके पश्चात थानाधिकारी व उक्त मौतबिर रेवड़मल व पिंटू द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू के समक्ष आपस में तलाशी ली जाकर फर्द मूर्तिब की गई थी। इस दौरान उनके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उसके बाद समय 1:42 पी.एम. पर उक्त शख्स संदीप उर्फ टिल्लू की तलाशी ली गई तो पहने हुए लोअर की बायीं जेब में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली जिसमें भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ मिला। उक्त पदार्थ को थानाधिकारी ने हमराही जाब्ता को सूंघाया व दिखाया तो सभी ने अपने अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ स्मैक होना बताया था तथा अभियुक्त से इस बारे में पूछा तो उसने भी उक्त पदार्थ को

स्मैक होना बताया, जिसके बारे में अभियुक्त से लाईसेंस बाबत पूछा गया तो स्वंय के पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। उसके बाद अनुसंधान बॉक्स में रखे इलेक्ट्रिोनिक कांटे के माध्यम से उक्त मादक पदार्थ का तोल किया गया तो थैली सहित कुल वजन 10.12 ग्राम होना पाया गया। जिसे मौके पर ही थानाधिकारी द्वारा सील्ड मोहर कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर मार्का ए अंकित किया गया तथा अभियुक्त की तलाशी के दौरान लोअर की दायीं जेब से 500 के 55 नोट, 200 के 42 नोट, 100 के 169 नोट, पचास के 14 नोट, 20 के 3 नोट, 10 के 78 नोट कुल 54,340/– रूपये मिले, जिनको अभियुक्त के द्वारा स्मैक बिक्री की राशि होना बताया गया, जिनको बतौर वजह सबूत एक लिफाफे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। समय 2:10 पी.एम. पर अभियुक्त को 1985 के अधिनियम की धारा 52 (1) के प्रावधानों से सूचित कर फर्द वजह ग्राउण्ड गिरफ्तारी मूर्तिब की गई थी तथा 2:20 पी.एम. पर अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू को थानाधिकारी द्वारा 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 में गिरफ्तार किया जाकर फर्द तैयार की थी। तत्पश्चात समय 2:30 पी.एम. पर सील मोहर करने में काम में ली गई सील की फर्द नमूना सील मूर्तिब की गई तथा समय 2:40 पी.एम. पर उक्त सील को मौके पर ही नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण नमूना सील तैयार की गई थी। उक्त समस्त कार्यवाही की ई साक्ष्य एप पर उसके द्वारा मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई थी।

22. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि वह यह नहीं बता सकता कि कार्यवाही हेतु किस नम्बर के निजी वाहन का उपयोग किया गया था, किन्तु उक्त वाहन को बाबूलाल कांस्टेबल चला रहा था। उसने स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा उसे यह जानकारी नहीं है कि धोकरिया मोटर्स, जेके गारमेंट एवं फैशन प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या नहीं। उसने स्वीकार किया कि धोकरिया मोटर्स के पीछे अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू का मकान है, किन्तु उसके मकान का सही स्थान उसे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। उसने स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल के आसपास के दुकानदारों को गवाह बनने हेतु कोई नामजद नोटिस नहीं दिया गया तथा अभियुक्त किस दिशा में भागा, इसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई। उसने कहा कि अभियुक्त के कब्जे से चांस रिकवरी के दौरान अवैध स्मैक बरामद होने के कारण मजिस्ट्रेट से तलाशी करवाने तथा धारा 50

एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देने का औचित्य नहीं था। उसने बताया कि मौके के फर्द थानाधिकारी के निर्देशन में बाबूलाल कांस्टेबल द्वारा तैयार किए गए थे तथा कथित मादक पदार्थ को ड्रग डिटेक्शन किट से जांचा नहीं गया। उसने कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि मौके से अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना किसी परिजन को दी गई थी या नहीं तथा अभियुक्त का मोबाइल खुली अवस्था में ही जब्त किया गया था। उसने कहा कि मौके पर कोई भीड़ एकत्रित नहीं हुई थी तथा उसकी जानकारी में वहां कोई निजी स्टैण्ड भी नहीं था। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि अभियुक्त को पहले थाने में बैठाकर बाद में झूठी बरामदगी दर्शाने के लिए कार्यवाही स्थल पर ले जाया गया हो, अथवा अभियुक्त के मकान निर्माण हेतु रखी गई राशि उसके घर से लाकर मादक पदार्थ की बिक्री की राशि बताकर जब्त की गई हो। उसने इस सुझाव का भी खण्डन किया कि वह झूठे बयान दे रहा है।

23. गवाह पिन्टू सिंह पी.डब्ल्यू.7 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह, एसएचओ सुधीर कुमार उपाध्याय, बाबूलाल कांस्टेबल, कालूराम कांस्टेबल, रेवडमल कांस्टेबल आदि लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के लिये सुबह 10:27 बजे थाने से रवाना हुए थे। वे अपने साथ अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, प्रिंटर आदि लेकर गये थे। वे तलाश करते हुए व गश्त करते हुए 12:50 पी.एम. पर रेल्वे पुलिया के नीचे पहुँचे। जहाँ पर एक अभियुक्त उनकी गाड़ी को देखकर भागने लगा, फिर उन्होंने अभियुक्त को दौड़कर पकड़ा व उससे उनको देखकर भागने का कारण पूछा तो वह अभियुक्त डर गया तथा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। फिर एसएचओ ने उसके पास कोई आपत्तिनजक वस्तु हो सकती है, इसलिये उसकी तलाशी के लिए स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु कांस्टेबल रेवड़मल को भेजा। रेवड़ कांस्टेबल ने दस मिनट बाद वापस आकर बताया की आपसी रंजिश व कानूनी पेचीदगी में पडने के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर एसएचओ ने 1:35 पी.एम. पर साक्षी से व रेवड् कांस्टेबल से गवाह बनने की लिखित में सहमति प्राप्त की। समय 1:40 पी.एम. पर साक्षी ने अपनी तलाशी अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू को दी। एसएचओ की तलाशी साक्षीगण ने ली व उनकी तलाशी एसएचओ ने ली। 1:42 पी.एम. पर एसएचओ ने अभियुक्त की तलाशी ली तो उसके पायजामे की बायीं जेब से एक पारदर्शी पॉलीथीन सफेद रंग की निकली जिसमें एक पाउडरनुमा पदार्थ

भरा हुआ था, जिसको उन्होंने सभी ने सूंघकर देखा तो उन सभी को स्मैक जैसा लगा। अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू से पूछा तो अभियुक्त ने भी उक्त पाउडरनुमा पदार्थ को स्मैक होना बताया। अनुसंधान बॉक्स से कांटा निकालकर उक्त पदार्थ स्मैक का वजन किया तो उसका वजन पॉलीथीन सहित 10 ग्राम 12 मिलीग्राम होना पाया। जिसको एसएचओ ने जब्त कर सील्डमोहर कर मार्का ए अंकित किया। अभियुक्त की दायीं जेब से स्मैक खरीद फरोख्त के पैसे मिले जिसमें 500 के 55 नोट, 200 रूपये के 42 नोट, 100 रूपये के 169 नोट, 50 रूपये के 14 नोट, 20 रूपये के 3 नोट व 10 रूपये के 78 नोट मिले, जो कुल 54,340/– रूपये थे। अभियुक्त से पूछा तो उसने स्मैक खरीद फरोख्त के पैसे बताये। उक्त पैसों को भी एसएचओ साहब ने जब्त कर लिफाफे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया। एसएचओ ने अभियुक्त से उक्त स्मैक को रखने के लाईसेंस के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। फिर अभियुक्त को 2:10 मिनट पर उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाने हेतु 1985 के अधिनियम की धारा 52 का नोटिस दिया तथा 2:20 पी.एम. पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। समय 2:30 पी.एम. पर सील को मूर्तिब किया जाकर 2:40 पी.एम. पर सील को नष्ट किया गया। अभियुक्त से स्मैक लाने बाबत पूछा गया तो अभियुक्त ने जीतराम व विक्की खाती से लाना बताया। फिर उसको लेकर मय माल वापिस थाने पर आये तथा उसको बंद हवालात करवाया व माल को जमा मालखाना करवाया गया। थानाधिकारी ने उससे स्वतंत्र बनने के लिये लिखित में सहमति ली थी, जो प्रदर्श पी–30 है, जिस पर ए से बी भाग में उसकी सहमति का नोट अंकित है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। थानाधिकारी ने तलाशी बाबत नोटिस दिया जो प्रदर्श पी–31 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ की बिक्री राशि 54,340 /– रूपये व माल का वजन 10 ग्राम 12 मिलीग्राम की जब्ती की फर्द बनाई, जो प्रदर्श पी–32 है, जिस पर ए से बी प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है व 1985 के अधिनियम की धारा 52 (1) व कार्यवाही धारा 8/21 में अभियुक्त का फर्द गिरफ्तारी बाबत नोटिस दिया जो प्रदर्श पी–33 है। फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त संदीप प्रदर्श पी–34 है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–35 है। सील मोहर लगाये जाने के बाद नष्टीकरण सील की फर्द बनाई जो प्रदर्श पी–36 है। इन फर्दात् पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

24. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि कार्यवाही स्थल पर जाने हेतु जिस निजी वाहन का उपयोग किया गया था, उसके नम्बर, स्वामी, चालक अथवा उसे कौन लेकर आया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने स्वीकार किया कि थाना पर थाना वाहन सख्या आरजे 14 टी एफ 6243 उपलब्ध था तथा अभियुक्त को लगभग 3:00 बजे थाना लाया गया था। उसने स्वीकार किया कि कथित कार्यवाही स्थल एक निजी टैक्सी स्टैण्ड, घनी आबादी एवं अत्यधिक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जहाँ अनेक मकान एवं दुकानें स्थित हैं। वहाँ भीड़ एकत्रित होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति अथवा स्थानीय दुकानदार को नामजद लिखित नोटिस देकर गवाह बनने हेतु नहीं कहा गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल के पास धोकरिया मोटर्स, फैशन प्वाईंट एवं जे.के. गारमेंट्स की दुकानें स्थित हैं, किन्तु उसे यह जानकारी नहीं है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे अथवा पुलिया के नीचे कोई सरकारी सीसीटीवी कैमरा स्थापित था। उसने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी दुकान संचालक को गवाह बनने के लिए नामजद नोटिस नहीं दिया गया। साक्षी ने कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्त का मकान धोकरिया मोटर्स के पीछे स्थित है। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि अभियुक्त को उसके घर से पकड़ा गया था अथवा मकान निर्माण की राशि घर से लाकर उसे स्मैक विक्रय की राशि बताया गया। उसके अनुसार नकद राशि अभियुक्त की दायीं जेब से बरामद हुई थी। उसने स्वीकार किया कि बरामद पदार्थ को ड्रग डिटेक्शन किट से जाँच नहीं किया गया तथा कार्यवाही स्थल पर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया और न ही अभियुक्त को उनके समक्ष ले जाया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त को 1985 के अधिनियम की धारा 50 का नोटिस नहीं दिया गया। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–30 पर सहमति का समय अंकित नहीं है, प्रदर्श पी–31 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा अभियुक्त की तलाशी थानाधिकारी द्वारा ली गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के किसी परिजन को न तो मौके पर बुलाया गया और न ही गिरफ्तारी की सूचना दी गई। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–36 में सील नष्ट करने की विधि का उल्लेख नहीं है तथा जब्ती से लेकर मालखाना में जमा कराने तक केवल एक बार ही सील लगाई गई थी। अभियुक्त का मोबाइल फोन सीलबंद नहीं किया गया। प्रदर्श पी–42 में अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू किस दिशा में भागा, इसका

उल्लेख नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल थाना कोतवाली से लगभग 350 मीटर की दूरी पर स्थित है, किन्तु अभियुक्त के मकान की दूरी की उसे जानकारी नहीं है। मौके की फर्द बाबूलाल कांस्टेबल द्वारा तैयार की गई थी। उसके समक्ष माल से एक नमूना लिया गया था, किन्तु नमूने का वजन उसे स्मरण नहीं है। अभियुक्त के पास से कोई ऐसी पर्ची बरामद नहीं हुई, जिससे यह ज्ञात हो कि उसने किससे कितना माल खरीदा अथवा किसे कितना बेचा। यह भी स्वीकार किया कि जब्त नोटों के नम्बर किसी भी फर्द में अंकित नहीं हैं। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि मकान निर्माण की राशि को झूठी स्मैक विक्रय की राशि दर्शाया गया या अभियुक्त को उसी दिन सुबह 8:30 बजे थाना वाहन संख्या आरजे 14 टीएफ 6243 से उसके घर से लाया गया था तथा बाद में झूठी बरामदगी दिखाकर मुकदमा बनाया गया हो।

25. गवाह हाकिम सिंह पी.डब्ल्यू.8 का कथन है कि वह दिनांक 02.07.2025 को पुलिस थाना सदर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसके सामने परिवादी सुधीर कुमार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कोतवाली की निशादेही से फर्द निरीक्षण घटना स्थल रेल्वे पुलिया के पास का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–42 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन नक्शा मौका अवैध स्मैक खरीद स्थल निशादेही अभियुक्त संदीप सिंह की निशादेही से मुकदमा नम्बर 318/2025, 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 का जौली फार्मा का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–44 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व अभियुक्त संदीप सिंह से एक मोबाइल दिनांक 01.07.2025 को सुधीर कुमार पुलिस निरीक्षक को तलाशी के दौरान मिला था, उसको मालखाना में इंचार्ज हैड कांस्टेबल हरलाल को सुपुर्द किया था, जो प्रदर्श पी–45 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

26. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–42 में दर्शाया गया स्थान घनी रिहायश एवं दुकानों वाला क्षेत्र है। उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा आसपास के किसी दुकानदार अथवा निवासी को लिखित रूप से गवाह बनने का नोटिस नहीं दिया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–42 देखकर वह यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त कहाँ खड़ा था तथा पुलिस वाहन कहाँ

खड़ा था। प्रदर्श पी–42 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–42 एवं प्रदर्श पी–3 एक ही स्थान के दो अलग–अलग दिशाओं से तैयार किए गए नक्शे हैं। प्रदर्श पी–42 में जौली फार्मा एवं सरदारी होटल नहीं दर्शाए गए हैं तथा प्रदर्श पी–44 में शराब का ठेका, सुलभ शौचालय एवं कार्यवाही स्थल अंकित नहीं है। प्रदर्श पी–44 वाला क्षेत्र भी घनी रिहायश एवं दुकानों वाला क्षेत्र है तथा वहाँ भी किसी स्थानीय व्यक्ति अथवा दुकानदार को लिखित नोटिस देकर गवाह नहीं बनाया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–42 एवं प्रदर्श पी–44 एक ही दिन एवं एक ही समय तैयार किए गए थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–45 में वर्णित मोबाइल उसके समक्ष अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया था तथा जब उसके समक्ष मोबाइल प्रस्तुत किया गया तब वह खुली अवस्था में था। प्रदर्श पी–45 पर भी अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि वह अनुसंधान अधिकारी का मातहत कर्मचारी होने के कारण झूठे बयान दे रहा है अथवा उसके समक्ष कोई फर्द तैयार नहीं की गई और उसने थाने में बैठकर हस्ताक्षर किए थे।

27. रविन्द्र कुमार पी.डब्ल्यू.9 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना सदर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नम्बर 318/2025, 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह सुधीर कुमार, कालूराम, पिन्टू सिंह, बाबूलाल, दीपक, रोहिताश, रेवड़मल व हरलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू द्वारा उसे दी गई इत्तिला धारा 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मूर्तिब की गई, जो प्रदर्श पी–46 है, जिस पर ए से बी अभियुक्त संदीप के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 02.07.2025 को अभियुक्त की निशादेही से अवैध मादक पदार्थ स्मैक के खरीद स्थल का तस्दीक घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–44 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के व ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, पुश्त पर भी हालात मौका अंकित है, जिस पर भी जी से एच उसके हस्ताक्षर है। परिवादी सुधीर कुमार की निशादेही से नक्शा मौका घटना स्थल बनाया था, जो प्रदर्श पी–42 है, जिस पर ए से बी परिवादी के हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, पुश्त पर भी हालात मौका अंकित है, जिस पर भी जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 02.07.2025

को अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ टिल्लू की जामा तलाशी में जब्त किया गया फोन उसके द्वारा प्रकरण में जब्त किया गया था, जो प्रदर्श पी–45 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान व ई से एफ मालखाना इंचार्ज व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ टिल्लू के मोबाइल के बातचीत के वाटसअप स्क्रीनशॉट लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये थे, जो प्रदर्श पी–47 लगायत प्रदर्श पी–51 है, जिन पर ए से बी उसका शामिल पत्रावली का नोट अंकित है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त का सजायबी रिकॉर्ड प्रदर्श पी–52 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी–53 लगायत प्रदर्श पी–56 है, जिन पर ए से बी उसका शामिल पत्रावली का नोट अंकित है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। एफएसएल को भेजे गये माल की रसीद प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी माल ले जाने वाले कांस्टेबल रोहिताश के हस्ताक्षर व सी से डी शामिल पत्रावली का नोट व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल माल जमा कराने बाबत अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–2 है, जिस पर भी ए से बी रोहिताश कांस्टेबल के हस्ताक्षर है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–4 पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट सी से डी उसके व ई से एफ प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। धारा 52 ए की इन्वेन्ट्री कार्यवाही हेतु दिया गया प्रपत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 को दिया गया प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फॉर्म नम्बर 4 व 5 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो प्रदर्श पी–5 के साथ संलग्न है। इन्वेन्ट्री की कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफस प्रदर्श पी–13 लगायत प्रदर्श पी–25 है, जिन पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर है व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। धारा 52 ए की कार्यवाही हेतु न्यायालय एसीजेएम क्रम संख्या 2 द्वारा जारी तहरीर प्रदर्श पी–26 है, जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर में माल जमा कराने की प्रविष्टि मद संख्या 910/140 प्रदर्श पी–29 ए है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, जो प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ टिल्लू के विरूद्व 1985 के अधिनियम की धारा 8/21 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट किता किये जाने हेतु पत्रावली को थानाधिकारी थाना कोतवाली को भिजवाई गई थी।

28. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक 01.07.2025 को जब्ती कार्यवाही में प्रयुक्त निजी वाहन का नम्बर किसी भी फर्द में अंकित नहीं है तथा वाहन किसका था, कौन लेकर आया और कौन चला रहा था, इसका भी पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी–42 एवं प्रदर्श पी–44 एक ही क्षेत्र के नक्शे हैं, किन्तु उनमें दर्शाई गई दुकानों के मध्य दूरी अंकित नहीं है तथा दोनों में दर्शाए गए "एक्स" स्थान अलग–अलग हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि दोनों स्थल रेलवे अण्डरपास के नीचे स्थित भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं तथा दोनों कार्यवाहियों के समय किसी स्थानीय व्यक्ति को गवाह बनने हेतु नोटिस नहीं दिया गया। यद्यपि उसने स्वयं कहा कि कई लोगों से कहा गया था किन्तु कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति द्वारा गवाह बनने से इंकार करने का कोई उल्लेख प्रदर्श पी–42 अथवा प्रदर्श पी–44 में नहीं है। प्रदर्श पी–42 में अभियुक्त किस दिशा में भागा तथा पुलिस वाहन कहाँ खड़ा था, इसका अंकन नहीं है। अनुसंधान के दौरान किसी स्वतंत्र दुकानदार अथवा स्थानीय निवासी के बयान इस तथ्य पर दर्ज नहीं किए गए कि उक्त कार्यवाही वास्तव में वहीं हुई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल के निकट स्थित धोकरिया मोटर्स, फैशन प्वाईंट एवं जे.के. गारमेंट्स आदि दुकानों के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नहीं किए गए तथा जौली फार्म हाउस एवं सरदारी होटल के स्वामी अथवा कर्मचारियों से भी पूछताछ नहीं की गई। उसने स्वयं कहा कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचीदगियों के कारण गवाह बनने अथवा नोटिस लेने को तैयार नहीं होता। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–45 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा जब मोबाइल उसके समक्ष आया तब वह सीलबंद नहीं था। उसने स्वयं कहा कि मोबाइल जामा तलाशी में जब्त किया गया था, इसलिए उसे सीलबंद करना आवश्यक नहीं समझा गया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस व्यक्ति से अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ खरीदना बताया गया था, उसकी पहचान नहीं हो सकी। उसने स्वयं कहा कि उस व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सिम फर्जी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि किसी बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से मादक पदार्थ की खरीद का कोई तथ्य सामने नहीं आया, किन्तु स्वयं कहा कि नकद खरीद–फरोख्त हुई थी और इसी कारण ₹54,340/– जब्त किए गए थे। उसने स्वयं कहा कि अभियुक्त ने एक दिन पूर्व माल खरीदा और बाद में बेच दिया था तथा उक्त राशि उसी बिक्री की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि कितना माल खरीदा

और कितना बेचा गया, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त ने यह नहीं बताया कि उसका मकान निर्माणाधीन था तथा उसने अभियुक्त के घर जाकर इस तथ्य की जाँच भी नहीं की। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि घटना स्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अभियुक्त का मकान है या नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि दिनांक 01.07.2025 को थाना कोतवाली में वाहन संख्या आरजे 14 टीएफ 6243 उपलब्ध था या नहीं। उसने स्वयं कहा कि उस समय वह थाना सदर दौसा में पदस्थापित था तथा अनुसंधान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि थाना कोतवाली से जाब्ता अभियुक्त के घर गया हो। साक्षी ने इस सुझाव का खण्डन किया कि अभियुक्त को उसके घर से लाकर बाद में झूठी बरामदगी दर्शाई गई हो। साक्षी ने स्वीकार किया कि धारा 52–ए की कार्यवाही हेतु प्रदर्श डी–1 एवं डी–2 न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे तथा वे प्रार्थना पत्र मात्र हैं। इन पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं हैं, किन्तु स्वयं कहा कि अलग से प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। उसने प्रार्थना पत्र के साथ केवल फॉर्म नम्बर 4 एवं 5 प्रस्तुत किए थे। प्रदर्श पी–47 से पी–51 तक अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा इनके साथ धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। किसी स्वतंत्र व्यक्ति के बयान भी कार्यवाही के संबंध में दर्ज नहीं किए गए। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि इन्वेन्ट्री की कार्यवाही लगभग एक माह दस दिन बाद की गई तथा नमूने 72 घंटे के भीतर एफएसएल नहीं भेजे गए। फोटोग्राफ उसी दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उनसे संबंधित कोई बिल अथवा धारा 65–बी का प्रमाण–पत्र भी पत्रावली में नहीं है। उसने स्वयं कहा कि अगले दिन फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए थे। आर्डरशीट पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, प्रदर्श पी–29–ए मालखाना रजिस्टर की प्रति पर धारा 52–ए की कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है तथा जब्ती कार्यवाही की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उसे प्राप्त नहीं हुई। उसने स्वयं कहा कि ई–साक्ष्य एप पर वीडियोग्राफी की जाती है और वहीं से धारा 65–बी का प्रमाण–पत्र जारी होता है। धारा 57 की सूचना के संबंध में डाक डिस्पैच रजिस्टर अथवा संबंधित कार्यालयों के प्राप्ति रजिस्टर पत्रावली में प्राप्त नहीं किए गए। उसने स्वयं कहा कि सूचना ले जाने वाले वाहक की रोजनामचा रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। कार्यवाही में प्रयुक्त वाहन की लॉगबुक तथा अनुसंधान के दौरान उपयोग किए गए वाहन की लॉगबुक पत्रावली में शामिल नहीं की गई। उसने स्वयं कहा कि जब्ती कार्यवाही में

निजी वाहन का उपयोग किया गया था। यह भी स्वीकार किया कि निजी वाहन किसका था और कौन उसे थाना लेकर आया, इसकी उसने जाँच नहीं की। उसने स्वयं कहा कि जब्ती कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा की गई थी। कार्यवाही में सम्मिलित टीम की कॉल लोकेशन भी अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं की गई। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि उसने जब्ती अधिकारी से मिलकर झूठा अनुसंधान किया अथवा अभियुक्त को झूठा फँसाया हो।

29. गवाह मुकेश पी.डब्ल्यू.10 का कथन है कि दिनांक 02.07.2025 को पुलिस थाना सदर जिला दौसा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी रविन्द्र कुमार एसआई के साथ प्रकरण संख्या 318/2025 अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू की धारा 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला की तस्दीक हेतु गया था तथा उसके सामने अनुसंधान अधिकारी रविन्द्र कुमार एसआई ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक खरीद स्थल का नक्शा मौका तस्दीक करवाकर तैयार किया था। नक्शा मौका खरीद स्थल प्रदर्श पी–44 है, जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन परिवादी सुधीर कुमार पुलिस निरीक्षक की निशादेही से अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया जो प्रदर्श पी–42 है, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने थाना कोतवाली दौसा के मालखाना प्रभारी हरलाल एच.सी. नम्बर 66 से एक मोबाइल अभियुक्त संदीप का लेकर जब्त कर फर्द जब्ती बनाई थी। फर्द जब्ती मोबाइल प्रदर्श पी–45 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

30. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–42 में दर्शाया गया स्थल घनी रिहायश एवं दुकानों वाला क्षेत्र है। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–42 एवं प्रदर्श पी–3 एक ही स्थान के दो भिन्न दिशाओं से तैयार किए गए नक्शे हैं। उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा आसपास के किसी दुकानदार अथवा स्थानीय निवासी को लिखित रूप से गवाह बनने का नोटिस नहीं दिया गया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–42 देखकर वह यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त कहाँ खड़ा था तथा पुलिस वाहन कहाँ खड़ा था। प्रदर्श पी–42 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी–42 में जौली फार्मा एवं सरदारी होटल अंकित नहीं हैं तथा प्रदर्श पी–44 में

शराब का ठेका, सुलभ शौचालय एवं कार्यवाही स्थल नहीं दर्शाए गए हैं। प्रदर्श पी–44 वाला स्थान भी घनी रिहायश एवं दुकानों वाला क्षेत्र है तथा उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने आसपास के किसी दुकानदार अथवा निवासी को लिखित नोटिस देकर गवाह नहीं बनाया। प्रदर्श पी–42 एवं प्रदर्श पी–44 एक ही दिन एवं एक ही समय तैयार किए गए थे। प्रदर्श पी–45 में वर्णित मोबाइल उसके समक्ष अभियुक्त से बरामद नहीं किया गया था तथा जब वह उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया तब वह खुली अवस्था में था। प्रदर्श पी–45 पर भी अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी ने इस सुझाव का खण्डन किया कि उसके समक्ष कोई फर्द तैयार नहीं की गई थी और उसने थाने में बैठकर हस्ताक्षर किए थे और वह अनुसंधान अधिकारी का मातहत कर्मचारी होने के कारण झूठा बयान दे रहा हो।

31. गवाह दीपक कुमार पी.डब्ल्यू.11 का कथन है कि वह दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी सुधीर कुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा एक लिफाफा सील्डशुदा मन कांस्टेबल को देकर पुलिस उपाधीक्षक दौसा रवाना किया था। वह लिफाफा लेकर कार्यालय उपाधीक्षक पुलिस दौसा पहुँचा। जहॉ पर सील्डशुदा लिफाफा पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा को दिया। जिन्होंने लिफाफा खोलकर एक प्रति पर हस्ताक्षर करके उसको वापस दे दिया, जिसे थाने पर लाकर थानाधिकारी को दिया था।

32. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक 01.07.2025 को पुलिस थाना कोतवाली के डाक डिस्पैच रजिस्टर में संबंधित लिफाफा प्राप्त करने के संबंध में उसके हस्ताक्षरों की कोई प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, दौसा में लिफाफा पहुँचाने के संबंध में वहाँ के प्राप्ति (पावती) रजिस्टर में उसके हस्ताक्षरों की प्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव का खण्डन किया कि वह न्यायालय के समक्ष झूठा बयान दे रहा है।

33. उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन एवं विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

34. न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक, दस्तावेजी तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का समग्र, संयुक्त एवं न्यायिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एक विशेष एवं कठोर दण्ड विधान है, जिसमें दोषसिद्धि का आधार मुख्यतः तलाशी एवं बरामदगी कार्यवाही पर आधारित होता है। इस कारण अधिनियम में निहित प्रक्रियात्मक प्रावधान मात्र औपचारिक न होकर आज्ञापक (Mandatory) प्रकृति के माने गए हैं और उनका अक्षरशः पालन अभियोजन के लिए अनिवार्य है। न्यायालय इस बात से भी अवगत है कि जहाँ सामान्य आपराधिक मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटियों को गौण माना जा सकता है, वहीं 1985 के अधिनियम के मामलों में ऐसी त्रुटियाँ अभियोजन की जड़ को प्रभावित करती हैं, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध दोष का आधार ही बरामदगी की वैधानिकता पर निर्भर करता है। अतः न्यायालय को यह देखना है कि क्या इस मामले में अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का विधिसम्मत् अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?

प्रकरण में सभी गवाहान के पुलिसकर्मी होने का प्रभावः–

35. प्रकरण में सर्वप्रथम स्वतंत्र गवाहों के अभाव के प्रश्न पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभिलेख से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि घटना स्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र, रेलवे स्टेशन एवं बाजार के समीप स्थित था। अभियोजन के साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है। यह भी सही है कि जब्ती की कार्यवाही में किसी स्वतंत्र सार्वजनिक व्यक्ति को साक्षी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया तथा इस संबंध में किसी सार्वजनिक व्यक्ति को विधिवत नोटिस दिए जाने अथवा उसके द्वारा गवाह बनने से इंकार किए जाने का कोई पृथक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। किन्तु मात्र इस आधार पर अभियोजन की संपूर्ण कार्यवाही अथवा जब्ती को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रावधान के अभाव में प्रत्येक मामले में स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह का होना अथवा उसका अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है। केवल इसलिए कि जब्ती या अनुसंधान की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों अथवा पुलिस कर्मियों को ही साक्षी बनाया गया है, उनके साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से

देखकर स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि उनके कथनों में स्वाभाविकता, परस्पर संगति एवं विश्वसनीयता विद्यमान हो तथा प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास या तथ्य उजागर न हुआ हो जिससे उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न हो, तो मात्र स्वतंत्र गवाह के अभाव से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता। पुलिस अधिकारी का साक्ष्य केवल उसके पुलिस अधिकारी होने के कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता तथा यदि उसका कथन विश्वास योग्य हो तो उसी के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। यह भी न्यायसंगत दृष्टिकोण है कि अनेक अवसरों पर सार्वजनिक व्यक्ति पुलिस अथवा न्यायालय की कार्यवाही में सम्मिलित होने से बचते हैं, इसलिए केवल सार्वजनिक गवाह के सम्मिलित न होने से अभियोजन का मामला स्वतः संदेहास्पद नहीं हो जाता। प्रस्तुत प्रकरण में जब्ती अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य पुलिस साक्षियों के कथनों का समग्र मूल्यांकन करने पर उनके बयानों में कोई ऐसा मौलिक विरोधाभास या कृत्रिमता दर्शित नहीं होती जिससे जब्ती अथवा अनुसंधान की सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो। बचाव पक्ष भी ऐसा कोई ठोस कारण स्थापित नहीं कर सका है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त को मिथ्या रूप से फँसाने के उद्देश्य से झूठी कार्यवाही की है। अतः केवल सार्वजनिक व्यक्तियों को कार्यवाही में सम्मिलित न किए जाने के आधार पर अभियोजन की संपूर्ण कहानी को अविश्वसनीय अथवा संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। इस कारण से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा यह तथ्य अकेले अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

धारा 50 की अनुपालना (अभियुक्त के तलाशी के विधिक अधिकार)

36. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान मादक पदार्थ की बरामदगी दर्शायी गई है, अतः 1985 के अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य था तथा उक्त प्रावधानों का अनुपालन न होने से सम्पूर्ण तलाशी एवं बरामदगी की कार्यवाही अवैध हो जाती है। उक्त तर्क का अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों के आलोक में परीक्षण करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 50 का औपचारिक अनुपालन आवश्यक नहीं था। अभिलेख से स्पष्ट

है कि पुलिस दल किसी पूर्व नियोजित कार्यवाही अथवा पूर्व प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर नहीं, बल्कि नियमित गश्त एवं आकस्मिक चैकिंग पर था। अभियोजन के किसी भी साक्षी के कथनों से यह सिद्ध नहीं होता कि पुलिस को अभियुक्त के संबंध में पूर्व से कोई विशिष्ट सूचना अथवा ऐसा पूर्व विश्वास था कि वह अपने पास मादक पदार्थ लिये हुए है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पुलिस दल को देखकर अचानक घबराकर भागने लगा, जिससे पुलिस को तत्काल संदेह उत्पन्न हुआ और उसी परिस्थिति में उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। ऐसी स्थिति में तलाशी का आधार पूर्व सूचना न होकर तत्काल उत्पन्न परिस्थितियाँ थीं, जिनमें पुलिस अधिकारी के समक्ष तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक था। धारा 50 का उद्देश्य ऐसे मामलों में अभियुक्त को एक अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करना है जहाँ सक्षम अधिकारी पूर्व सूचना अथवा पूर्व विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी लेने जा रहा हो, जिससे तलाशी की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। किन्तु जहाँ तलाशी आकस्मिक रूप से उत्पन्न परिस्थितियों में तत्काल आवश्यक हो जाती है और पुलिस अधिकारी के पास पूर्व से कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती, वहाँ धारा 50 के प्रत्येक औपचारिक प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन अपेक्षित नहीं माना जा सकता, अन्यथा आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावी पुलिस कार्यवाही असंभव हो जाएगी तथा अभियुक्त के भाग जाने अथवा मादक पदार्थ को नष्ट कर देने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार बरामदगी एवं गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात 1985 के अधिनियम की धारा 57 के अधीन सूचना प्रदर्श पी–41 सक्षम उच्चाधिकारी को तत्काल प्रेषित कर दी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बरामदगी एवं गिरफ्तारी की सम्पूर्ण कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तथा कार्यवाही को किसी प्रकार से गुप्त अथवा मनमाना रखने का प्रयास नहीं किया गया। जहाँ तक धारा 50 की उपधारा (6) के अंतर्गत विश्वास के कारण अभिलिखित कर 72 घंटे के भीतर उच्चाधिकारी को प्रेषित करने का प्रश्न है, उक्त उपबंध का संबंध धारा 50(5) में वर्णित विशेष परिस्थितियों से है, जहाँ अधिकारी पूर्व विद्यमान विश्वास के आधार पर अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के स्थान पर स्वयं तलाशी लेने का निर्णय करता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं थी, क्योंकि न तो पुलिस के पास पूर्व सूचना थी और न ही तलाशी पूर्व

नियोजित थी, अपितु संपूर्ण कार्यवाही आकस्मिक चैकिंग के दौरान अभियुक्त के संदिग्ध आचरण के फलस्वरूप तत्काल की गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–41 के अवलोकन से स्वतः सिद्ध होता है कि जब्ती की कार्यवाही के तुरन्त पश्चात् उसी दिन धारा 57 की सूचना उच्चाधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को प्रेषित कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में जब्ती अधिकारी द्वारा जब्ती की कार्यवाही की तत्काल सूचना उच्चाधिकारियों को अविलम्ब प्रेषित किया जाना साबित है।

37. यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि प्रक्रिया संबंधी प्रत्येक त्रुटि तभी घातक मानी जाएगी जब उससे अभियुक्त को वास्तविक प्रतिकूलता पहुँची हो अथवा कार्यवाही की निष्पक्षता प्रभावित हुई हो। 1985 के अधिनियम में यह उपबंधित है कि यदि अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत व्यक्तिगत तलाशी से पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में जब्ती अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को 72 घंटे में घटना की सूचना प्रेषित करेगा। चूंकि इस प्रकरण में प्रदर्श पी–41 के अनुसार जब्ती अधिकारी द्वारा 1985 के अधिनियम की धारा 57 की सूचना अविलम्ब अपने से वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को प्रेषित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि धारा 50 के पृथक अनुपालन के अभाव में उसे किसी प्रकार की वास्तविक हानि या पूर्वाग्रह अथवा बरामदगी की निष्पक्षता प्रभावित हुई। इसलिए इस आधार पर अभियोजन के मामले को अस्वीकार करने का कोई विधिसम्मत आधार उपलब्ध नहीं है। इस मामले में धारा 50 का उल्लंघन साबित नहीं है। अतः अभियुक्त इस संबंध में उठाये गये तर्क का कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

धारा 55 की अनुपालना (जब्त माल की सुरक्षित अभिरक्षा):

38. अब जब्तशुदा मादक पदार्थ की अभिरक्षा (chain of custody) के संबंध में विचार करें तो अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि जब्ती के समय से लेकर एफएसएल परीक्षण तक मादक पदार्थ सुरक्षित, सीलबंद एवं अपरिवर्तित अवस्था में रहा। इस मामले में एफएसएल में जाँच हेतु जो नमूना भिजवाया गया है, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52 ए की कार्यवाही के दौरान लिया गया तथा प्रदर्श पी 43 एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार वह नमूना सीलड एवं सुरक्षित अवस्था में मिला है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार उक्त भेजे गये नमूना में

डायएसिटाइलमॉर्फिन (हेरोइन) पाया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि जो सैम्पल एफ.एस.एल. में भेजा गया उसमें मादक पदार्थ स्मैक के घटक पाये गये हैं। प्रदर्श पी 29 मालखाना रजिस्टर के अवलोकन पर पाते हैं कि उक्त माल को सील्ड अवस्था में मालखाना में जमा करवाया गया था। न्यायिक अधिकारी रविकान्त पी.डब्ल्यू.4 जिनके द्वारा 1985 के अधिनियम की धारा 52ए की कार्यवाही की गई है, उसके समक्ष जब यह माल पेश किया गया था, तब सील्ड व सुरक्षित अवस्था में पेश किया जाना उक्त साक्षी द्वारा अपने कथनों में प्रकट किया गया है। ऐसी स्थिति में मालखाना से एफ.एस.एल. तक नमूना सील्ड व सुरक्षित अवस्था में पहुँचना साबित है। हालाँकि अभियोजन गवाहान के कथनों में कुछ सामान्य विरोधाभास सील इम्प्रेशन व किस सील से सील्ड किया, उस बारे में आयें है, किन्तु माल के सील्ड व सुरक्षित होने की श्रृंखला अटूट रही है, ऐसे में अभियोजन पक्ष इस मामले में 1985 के अधिनियम की धारा 55 की अनुपालना साबित करने में सफल रहा है।

धारा 52ए की अनुपालना (जब्त माल की सूची, सैम्पलिंग एवं प्रमाणिकरण)

39. धारा 52A के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि जब्त मादक पदार्थ की सूची (inventory) तैयार कर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रमाणित कराया जाए तथा सैम्पलिंग की कार्यवाही भी विधिवत न्यायिक पर्यवेक्षण में की जाए। इस मामले में जब्ती अधिकारी द्वारा मौका पर मादक पदार्थ को जब्त कर उसे मार्का ए देकर सील्ड मोहर किया है तथा मौका पर सैम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 52ए की कार्यवाही के दौरान ही मादक पदार्थ की सैम्पलिंग की कार्यवाही सम्पादित की गई है। जब न्यायिक अधिकारी द्वारा सैम्पलिंग की कार्यवाही हेतु उसके समक्ष माल को थैली सहित वजन करने पर 10.31 ग्राम होना पाया, जिसे अन्य छोटी प्लास्टिक की थैली में रखा, उस थैली का वजन 0.77 ग्राम था तथा शुद्ध स्मैक का वजन 9.81 ग्राम होना पाया, जो फर्द जब्ती, मालखाना रजिस्टर एवं अभियोजन द्वारा बताई गई जब्ती की मात्रा से पूर्णतः मेल खाती है। उक्त पदार्थ का नमूना लेकर उसे मार्का ए तथा शेष बची सामग्री को 'मार्का ए शेष सामग्री' न्यायिक अधिकारी द्वारा धारा 52ए की कार्यवाही के दौरान दिया है तथा बरामद रुपयों के सील्ड लिफाफे को खोलकर चैक किया तो उसमें कुल 54,340/– रुपये पाये गये हैं, जिसके लिफाफे को सील्ड कर मार्का बी अंकित किया गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट

प्रदर्श पी 43 के अनुसार मार्का ए नमूना ही जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुँचा है तथा उसी की जाँच हुई है। उक्त गवाह से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु कोई तात्विक खण्डन इस साक्षिया के कथनों का नहीं हुआ है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी रविन्द्र कुमार पी.डब्ल्यू.09 द्वारा भी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सैम्पलिंग की कार्यवाही करवाया जाना कथित किया गया है तथा उसके कथनों में भी कोई प्रतिकूल बात उभरकर नहीं आयी है, जिससे धारा 52ए की कार्यवाही को संदिग्ध माना जा सके। अतः इस मामले में धारा 52ए की कार्यवाही विधिनुसार सम्पादित होना पाया जाता है। वैसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जोथी उर्फ नागजोथी** (उपरोक्त) न्यायिक दृष्टांत में यह मत प्रतिपादित किया है कि जब माल की सील्ड व सुरक्षित होने की श्रृंखला साबित हो तो तकनीकी त्रुटियों पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष धारा 52ए की कार्यवाही की अनुपालना साबित करने में सफल रहा है।

40. उपर्युक्त समस्त मौखिक, दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य का समग्र परीक्षण करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है। जब्ती अधिकारी सुधीर कुमार पी.डब्ल्यू.−2 द्वारा की गई बरामदगी की कार्यवाही का समर्थन मौके पर उपस्थित अन्य पुलिस साक्षियों बाबूलाल, कालूराम, पिन्टू सिंह एवं रेवड़मल के कथनों से होता है, जिनके बयानों में बरामदगी के मूल तथ्यों के संबंध में कोई ऐसा मौलिक विरोधाभास अथवा असंगति परिलक्षित नहीं होती जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कहानी अविश्वसनीय प्रतीत हो। बचाव पक्ष द्वारा इन साक्षियों का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, किन्तु ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया जा सका जिससे यह स्थापित हो सके कि उक्त पुलिस अधिकारियों की अभियुक्त से कोई पूर्व शत्रुता, दुर्भावना अथवा ऐसा कोई कारण था जिसके चलते वे उसे मिथ्या रूप से इस गंभीर अपराध में फँसाते। केवल इस आधार पर कि समस्त साक्षी पुलिस विभाग से संबंधित हैं, उनके कथनों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जबकि उनके कथन स्वाभाविक, परस्पर संगत एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से पुष्ट हों। प्रकरण में अभियुक्त के पायजामे की बायीं जेब से 10.12 ग्राम स्मैक बरामद होना फर्द जब्ती, जब्ती अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के कथनों तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 52ए की कार्यवाही से पूर्णतः प्रमाणित होता है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी−43 से यह

निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि परीक्षण हेतु भेजे गए नमूने में डायएसिटाइलमॉर्फिन (Heroin/Smack) पाया गया, जिससे जब्त पदार्थ का मादक पदार्थ होना प्रमाणित हो गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत सैम्पलिंग की कार्यवाही सम्पन्न की गई तथा मालखाना रजिस्टर, न्यायिक अधिकारी के कथनों एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट से यह भी सिद्ध होता है कि जब्ती से लेकर प्रयोगशाला तक नमूने की सुरक्षित एवं सीलबंद अभिरक्षा अक्षुण्ण रही है। इस प्रकार धारा 52ए एवं धारा 55 के आवश्यक प्रावधानों का समुचित अनुपालन अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार न्यायालय पूर्ववर्ती विवेचन में यह निष्कर्ष दे चुका है कि प्रस्तुत प्रकरण आकस्मिक चैकिंग (Chance Recovery) का था, पुलिस को अभियुक्त के संबंध में कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं थी तथा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के पश्चात धारा 57 के अधीन आवश्यक सूचना तत्काल सक्षम उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दी गई थी, इसलिए धारा 50 के औपचारिक अनुपालन के अभाव से सम्पूर्ण तलाशी एवं बरामदगी की कार्यवाही अवैध अथवा संदेहास्पद नहीं होती। बचाव पक्ष द्वारा यह कथन कि अभियुक्त को उसके घर से पकड़कर झूठा फँसाया गया तथा जब्त राशि उसके मकान निर्माण की थी, पूर्णतः निराधार एवं असमर्थित रहा है। इस संबंध में न तो कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष लाया गया जिससे उक्त कथन का समर्थन हो सके। इसके विपरीत अभियुक्त के अनन्य एवं चेतन्य कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी सिद्ध हो जाने पर 1985 के अधिनियम की धारा 35 एवं 54 के अंतर्गत विधिक उपधारणाएँ अभियोजन के पक्ष में उत्पन्न होती हैं कि अभियुक्त का कब्जा सचेत था तथा उसके पास उक्त मादक पदार्थ रखने का वैध लाइसेंस या अनुज्ञा–पत्र नहीं था। अभियुक्त इन वैधानिक उपधारणाओं का खण्डन संभावनाओं के आधार पर भी करने में पूर्णतः असफल रहा है। उसने न तो किसी प्रकार का वैध अनुज्ञापत्र अथवा लाइसेंस प्रस्तुत किया और न ही ऐसा कोई संभावित प्रतिरक्षा साक्ष्य दिया जिससे उसके निर्दोष होने की संभावना उत्पन्न होती हो। बचाव पक्ष द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न परिस्थितियों पर आधारित हैं तथा इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि यहाँ बरामदगी की वैधानिकता, जब्त माल की सुरक्षित श्रृंखला, न्यायिक सैम्पलिंग तथा वैज्ञानिक परीक्षण सभी विधिवत सिद्ध हुए हैं। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वासयोग्य, स्वाभाविक एवं परस्पर संगत होने के कारण इस न्यायालय का यह

निष्कर्ष है कि दिनांक 01.07.2025 को अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ टिल्लू के अनन्य एवं चेतन्य कब्जे से बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र अथवा लाइसेंस के 10.12 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जो अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 21(बी) के अंतर्गत अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

41. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त **संदीप सिंह उर्फ टिल्लू** को धारा **8/21(बी), स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

(केशव कौशिक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण
(सैशन न्यायाधीश, दौसा)

42. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को सज़ा के बिन्दु पर सुना गया।

43. सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 1985 अधिनियम के कुछ प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि मात्र पूर्व प्रकरणों का दर्ज होना कठोर दण्ड प्रदान करने का स्वतः आधार नहीं माना जा सकता, विशेषतः जब तक उन प्रकरणों में से कुछ प्रकरणों में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है और अभी कुछ प्रकरण लंबित हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियाँ, बरामद मात्रा, अभियुक्त की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं उसकी माली हालत एवं इस तथ्य को देखते हुए कि उसके परिवारजन पूर्णतः उस पर आश्रित हैं। वह लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहकर विचारण का सामना कर रहा है। अतः समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे न्यूनतम वैधानिक दण्ड अथवा भुगती हुई सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

44. इसके खण्डन में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया व तर्क दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं:—

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नंबर
1.	125/2018	8/15 एनडीपीएस एक्ट	जीआरपी अजमेर	66/2018 29.10.2018
2.	65/2021	8/27 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली, दौसा	507/2021 03.08.2021
3.	409/2021	8/21 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली, दौसा	640/2021 26.10.2021
4.	569/2022	8/21 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली, दौसा	755/2022 31.12.2022
5.	145/2024	8/21 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली, दौसा	125/2024 09.05.2024
6.	179/2025	8/21 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली, दौसा	जैरे अनुसंधान

45. अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रकरण दर्ज हैं। अभियुक्त मादक पदार्थ के अपराधों का अभ्यस्त व्यक्ति है, जिसके प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जाये। मादक पदार्थों के सेवन एवं तस्करी से होने वाली बुराइयों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने व खत्म करने के लिए, संसद ने 1985 के अधिनियम में अनिवार्य न्यूनतम कारावास व जुर्माना का प्रावधान निर्दिष्ट किया है तथा ऐसे गम्भीर मामलों में सजा/दण्ड देते समय, पूरे समाज के हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

46. उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

47. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त संदीप उर्फ टिल्लू के कब्जा से 10.12 ग्राम स्मैक अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से इसी प्रकृति के अपराधों में प्रकरण दर्ज हैं। न्यायालय के मत में चूंकि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं सेवन से समाज में कुप्रभाव पड़ रहा है और युवा वर्ग इसकी चपेट में है। इसलिए

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना उचित पाया जाता है।

दण्डादेश

48. लिहाजा अभियुक्त **संदीप सिंह उर्फ टिल्लू पुत्र प्रताप सिंह, उम्र 51 वर्ष निवासी शर्मा प्रेस के पीछे नई मण्डी रोड दौसा पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा** को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21 (बी) के अपराध में दोषी करार दिया जाकर **03 वर्ष** के सश्रम कारावास व **30,000/–** रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जाये। उक्तानुसार सजा वारंट बनाया जावे।

49. प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ का यदि अब तक निस्तारण नहीं कराया गया हो तो नियमों की पालना में उसका निस्तारण कराया जाये तथा वजह सबूत मोबाइल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा जब्त शुदा राशि 54340/– रुपये बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार राजकोष में जमा कराये जावे। वजह सबूत निस्तारण की सूचना संबंधित थानाधिकारी को भेजी जाये। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(केशव कौशिक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण
(सैशन न्यायाधीश, दौसा)

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण
(सैशन न्यायाधीश, दौसा)